



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के अभियुक्त को **12 वर्ष के कठेर कारावास व ₹20,000 के अर्थदण्ड** की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत अ०सं० 98/2021, धारा- 342, 376, 506 भा०द०सं० व 4 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में **मा० न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर** द्वारा अभियुक्त **अभियुक्त सज्जन पुत्र रामबाबू वर्मा नि० कांशीराम कालोनी बांकी रोड कस्बा व थाना सुमेरपुर** जनपद हमीरपुर को **12 वर्ष के कठेर कारावास व ₹20,000 अर्थ दण्ड** से दण्डित किया गया।



ADGC श्री रुद्र प्रताप सिंह



विवेचक निरी० श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह



पैरोकार सुमेरपुर का० जगत सिंह